विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन के दो भाग है। भाग प्रथम शहरी स्थानीय निकाय और भाग द्वितीय पंचायती राज संस्थाओं पर है भाग प्रथम में तीन अध्याय है, प्रथम अध्याय में शहरी स्थानीय निकायों के लेखा प्रक्रिया सहित वित्त पर विहंगावलोकन, अध्याय द्वितीय मे स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के निष्पादन लेखापरीक्षा से संबंधित है जबकि अध्याय तृतीय में लेन-देनों की लेखा परीक्ष का वर्णन है। भाग द्वितीय में दो अध्याय है। जिसमें अध्याय एक पंचायती राज संस्थाओं के लेखा प्रक्रियाओं सहित वित्त् पर विंहगावलोकन और अध्याय -दो में लेन देनों की लेखा परीक्षा वर्णित है।

भाग-प्रथम
शहरी स्थानीय निकाय

अध्याय-प्रथम
शहरी स्थानीय निकायों की लेखांकन प्रक्रियाओं सहित वित्त पर विहंगावलोकन

भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक द्वारा गठित कार्य दल द्वारा सुझाये गये निर्धारित प्रपत्रों को शहरी स्थानीय निकायों द्वारा नहीं लागू किया गया।

(कंडिका 1.4)

तीन शहरी स्थानीय निकायों द्वारा रोकड़ बही और बैंक खातों के अंतर की राशि ₹ 2.14 करोड़ का समाधान नहीं किया गया (कर और गैर कर राजस्व) ।

(कंडिका 1.10)

शहरी स्थानीय निकायों द्वारा ₹ 23.63 करोड़ राशि के राजस्व की वसूली न होना ।

(कंडिका 1.11)

दो शहरी स्थानीय निकायों में कर्मचारियों से ₹ 1.83 करोड़ के अग्रिम की वसूली न होना ।

(कंडिका 1.12)

अध्याय-द्वितीय
स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा

जिला शहरी विकास प्राधिकरण के बैंक खाते में ₹ 7.98 करोड़ की निष्क्रिय राशि पड़े रहना।

(कंडिका 2.7.2)

बैंकों द्वारा सब्सिडी का अनियमित समायोजन

(कंडिका 2.8.1)

अध्याय-तृतीय

लेनदेन लेखापरीक्षा कंडिकाऐं

तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान को शहरी स्थानीय निकायों को जारी किये जाने एवं उसके उपयोग में अनियमिततायें

(कंडिका 3.1)

व्यवसायिक दुकानों के आवंटन न होने से राशि ₹ 2.68 करोड़ के राजस्व की हानि

(कंडिका 3.2)

भाग-द्वितीय

पंचायती राज संस्थायें

अध्याय-प्रथम

पंचायती राज संस्थाओ की लेखा प्रक्रियाओं सहित वित्त पर विहंगावलोकन

ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा सुझाये गये निर्धारित प्रपत्रों पर पंचायती राज संस्थाओं द्वारा लेखे संधारित नहीं किये गये

(कंडिका 1.5)

अध्याय द्वितीय

लेन देनों की लेखापरीक्षा

तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान को पंचायती राज संस्थाओं को जारी किये जाने एवं उसके उपयोग में अनियमिततायें

(कंडिका 2.1)